

an>

Title: Regarding justice to the victims of anti sikh riot of 1984.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम, मैं सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि इस हाउस में हर जीवित आत्मा पार्टीलाइन से ऊपर उठकर झिंझोड़ी जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लिए समय की बंदिश न की जाए। आप जानते हैं, दुनिया जानती है, 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ। उसके लिए बहुत सारे कमीशन बने, दोषी पहचाने गये। लेकिन आज सीबीआई की फाइलों का नया खुलासा आया है। मुझे दिल्ली कमेटी के जो प्रेसीडेंट हैं, यह उन्होंने दिया है कि सीबीआई की फाइलों में दर्ज हुआ है कि पुल बंगल गुरुद्वारा के सामने बादल सिंह नाम का व्यक्ति मास गया था, उसका आईवित्नेस सुरेन्द्र सिंह था। उसे मैनेज करने के लिए... (व्यवधान) सीबीआई की फाइलों में अभिषेक वर्मा ने बयान दिया है कि पांच करोड़ रुपये ₹/₹ ने कनाडा में दिये और उसके लड़के को पचास हजार डालर देकर बाहर भेजा। ... (व्यवधान) लेकिन इतने बड़े गुनाह के दोषी को कोई सजा नहीं दी गई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात आ गई, आप बैठिये।

â€ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सतीम साहब आप बोलिये। मैंने आपको बोल दिया है।

â€ (व्यवधान)